

पर्या डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 256/2025

- 1 छोडूलाल पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसीन टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादी
- 1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील दिब्बी जिला हनुमानगढ़।
प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक भुरानपुरा बरानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के 9/46 में तथा इसी चक के खाता सं0 8/45 में वादी का नाम छोडूराम पुत्र रजिराम उर्फ राजाराम तथा चकनं0 1 बी. आरएन के खाता सं0 5/17 में वादी का नाम छोडूलाल पुत्र रजीराम उर्फ रामराम को दुरुरस्त कर सही नाम छोडूलाल पुत्र रजीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है यदि वादी पर किसी भी प्रकार कोई आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्या डिक्री आज दिनांक 16/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।